

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से। सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail :
jureg_gwl@rediffmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2015/2934

दिनांक 12-04-2016

// अधिसूचना //


विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 30 जून, 2015 के पद क्रमांक (02) के निर्णयानुसार मॉ भगवती कॉलेज, करैरा रोड, भितरवार, ग्वालियर को सत्र 2015-16 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.ए. (आ.पा., समाजशास्त्र, इतिहास, राजनीतिशास्त्र, अतिरिक्त विषय-कम्प्यूटर एप्लीकेशन), बी.सी.ए., बी.बी.ए. पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती हैं।

निरीक्षण समिति द्वारा अंकित टीप :-

1. महाविद्यालय में 28(17) में कोई नियुक्ति नहीं की गई है। निरीक्षण के समय कुछ शिक्षक जो प्रबन्ध समिति द्वारा नियुक्ति बताये गये उपस्थित थे। उनके फोटोग्राफ संलग्न है।
2. महाविद्यालय किराये के भवन में संचालित है जिसमें केवल भूमितल में 03 क्लासरूम एक लैब व लायब्रेरी का छोटा कमरा है।
3. महाविद्यालय ने पूर्व की शर्तों के अनुरूप कम्प्यूटर, पुस्तकें तथा सॉफ्टवेयर आदि क्रय नहीं किये हैं।
4. महाविद्यालय ने कॉलेज कोड 27-28 का पालन भी नहीं किया है।


नोट:- महाविद्यालय द्वारा कमियों की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में दिए गए शपथ पत्र का परीक्षण सत्र 2016-17 की निरीक्षण समिति द्वारा किया जावे।

आदेशानुसार


कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, भगवती कॉलेज, करैरा रोड, भितरवार, ग्वालियर।
1. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
2. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
3. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
4. अधीक्षक, परीक्षा विभाग, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


अधिष्ठाता,
महाविद्यालयीन विकास परिषद्